



EASTERN RAILWAY  
(Personnel Department)  
17, N.S. Road, Kolata-700001

Serial Circular No.41/2022.

No. SP/GAZ/Panel/Pt.VI,

Kolkata, dated 11.04.2022.

All concerned.

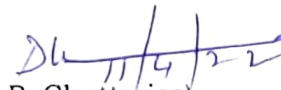
(As per standard list)

Sub:- Procedure for filling up of Ex-cadre Group 'B' post of Protocol  
Officer

-----

The instructions of Ministry of Railways(Railway Board) on the above subject issued vide their letter No.E(GP)2007/2/50, dated 29.03.2022 (RBE No.36/2022) is communicated herewith for information, guidance and wide publicity.

DA: As above.

  
P. Chatterjee)

Dy.Chief Personnel Officer(Gaz)  
for Pr.Chief Personnel Officer.  
Phone No.: 24115

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*\*

**No. E(GP)2007/2/50**

**New Delhi, dt:- 29.03.2022**

**The General Managers (P),  
All Indian Railways and Production Units**

**(Kind Attn.: PCPO/Dy.CPO(G))**

**Sub: Procedure for filling up of Ex-cadre Group 'B' post of Protocol Officer.**

**Ref.: Board's letters No. E(GP)2007/2/50 dated 14.11.2019 and 21.01.2020.**

In terms of instructions contained in Board's aforementioned letter of even number dt.14.11.2019, it was advised that ex-cadre Group 'B' posts of Protocol Officer operating on the Zonal Railways/Production Units shall be filled up in terms of Recruitment Rules. Similarly, in terms of Board's letter of even number dated 21.01.2020, pending finalisation of the Recruitment Rules, Railways have been allowed to fill up these posts on deputation from the existing Group 'B' officers.

2. The procedure of filling up these posts has now been reviewed by Board and it has been decided that the ex-cadre Group 'B' posts of Protocol Officer shall be filled up on the basis of Viva-Voce and assessment of APARs (as per extant instructions governing them) as under:

(a) from officials preferably holding analogous posts on regular basis, failing which;

(i) from amongst Group 'C' employees with atleast 2 years' regular service in level 7 of the pay matrix;

or

(ii) from amongst Group 'C' employees with atleast 6 years' regular service in level 6 of the pay matrix;

(b) The desirable educational qualification and preferable work experience for manning the post is given as under:

(i) holding Bachelor's Degree of a recognized University; and

(ii) having two years' experience of protocol or public relations work.

3. The tenure on ex-cadre Group 'B' posts of Protocol Officer shall normally not exceed four years. The lien of the selected incumbents will continue to be maintained in their respective non-gazetted/gazetted cadre of the parent zonal Railway/ Production Units. Further, they will earn regular promotions in their respective cadres including to Gr.B posts as per the Recruitment Rules/Administrative instructions etc. governing the said posts.
4. It has also been decided that in case a Group 'C' employee is selected to the ex-cadre Group 'B' post of Protocol Officer; he should be repatriated to his parent cadre at least one year before the date of his retirement on superannuation, irrespective of his tenure. Also, his settlement dues on retirement will be made accordingly as per the lien held by him on his respective non-gazetted cadre of the parent Zonal Railway/ Production Units.
5. Furthermore, as earlier advised in terms of instructions contained in Board's letter of even number dt.14.11.2019, not more than 2 posts of Protocol Officers in a Railway/PU can be operated – one at Head-quarter's level and the other at a station chosen by the General Manager and the incumbents to the post shall remain under the administrative control of the G.M.'s office.
6. The Protocol Officers who have been regularized as a onetime measure in terms of instructions contained in Board's letter of even number dated 14.11.2019, if required, can be transferred to any other General (ex-cadre) Group 'B' post by the General Manager as a special case not to be quoted as precedent.
7. Please acknowledge receipt of the letter.

M. Saluja  
29/03/22  
(Meenakshi Saluja)  
Dy. Director, Estt. (GP)III  
Railway Board  
Ph. No. 23047250  
E.mail ID- meena.1964@gov.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.ई(जीपी)/2007/2/50

नई दिल्ली, दिनांक: 29.03.2022

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि

(ध्यानार्थ: प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(जी))

विषय: नयाचार अधिकारी के संवर्ग बाह्य ग्रुप 'बी' पद को भरने की प्रक्रिया।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 14.11.2019 और 21.01.2020 के पत्र सं.ई(जीपी)/2007/2/50

बोर्ड के दिनांक 14.11.2019 के उक्त उल्लिखित समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, यह सूचित किया गया था कि क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में संचालित नयाचार अधिकारी के संवर्ग बाह्य ग्रुप 'बी' पद भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाएंगे। इसी प्रकार, बोर्ड के दिनांक 21.01.2020 के समसंख्यक पत्र के अनुसार, भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में विलंब को देखते हुए, रेलों को इन पदों को मौजूदा ग्रुप 'बी' अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने की अनुमति दी गई है।

2. बोर्ड द्वारा इन पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि नयाचार अधिकारी के संवर्ग बाह्य ग्रुप 'बी' पदों को मौखिक परीक्षा और वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (शासित मौजूदा नियमों के अनुसार) के मूल्यांकन के आधार पर भरा जाएगा:

(क) अधिकारी/कर्मचारी, जो नियमित आधार पर सदृश पदों पर हो, ऐसा न होने पर;

(i) ग्रुप 'सी' के कर्मचारी, जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में कम से कम 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

या

(ii) ग्रुप 'सी' के कर्मचारी, जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में कम से कम 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

(ख) इस पद पर तैनाती के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता और अधिमान्य कार्य अनुभव निम्नानुसार है:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो; और

(ii) नयाचार या जन संपर्क के कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।

3. नयाचार अधिकारी के संवर्ग बाह्य ग्रुप 'बी' पद का कार्यकाल सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगा। चयनित पदधारी का मूल क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के संबंधित अराजपत्रित/राजपत्रित

संवर्ग में धारणाधिकार बना रहेगा। इसके अलावा, वे उक्त पदों हेतु शासित अर्ही नियमों/प्रशासनिक अनुदेशों आदि के अनुसार, अपने संबंधित संवर्ग में ग्रुप 'बी' पद सहित नियमित पदोन्नति लेते रहेंगे।

4. यह भी विनिश्चय किया गया है कि नयाचार अधिकारी के संवर्ग बाह्य ग्रुप 'बी' पद पर ग्रुप 'सी' कर्मचारी के चयन के मामले में, उसकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पहले ही उसे उसके मूल संवर्ग में भेज दिया जाएगा। साथ ही, मूल क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के संबंधित अराजपत्रित संवर्ग में उसके धारणाधिकार के अनुसार सेवानिवृत्ति पर निपटान राशि का तदनुसार भुगतान किया जाएगा।

5. इसके अलावा, जैसा कि बोर्ड के दिनांक 14.11.2019 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार सूचित किया गया है, रेलवे/उत्पादन इकाई में नयाचार अधिकारी के 2 से अधिक पद संचालित नहीं किए जा सकते। इसमें एक पद मुख्यालय स्तर पर होगा और दूसरा पद महाप्रबंधक द्वारा चयन किए गए स्टेशन पर होगा तथा वह पदधारी महाप्रबंधक के कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

6. नयाचार अधिकारी, जिसे बोर्ड के दिनांक 14.11.2019 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार एकबारगी उपाय के रूप में नियमित किया गया है, को आवश्यकता पड़ने पर महाप्रबंधक द्वारा किसी अन्य सामान्य (संवर्ग बाह्य) ग्रुप 'बी' पद पर विशेष मामले के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जाए।

7. कृपया इस पत्र की पावती दें।

मीनाक्षी

(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक, स्थापना (जीपी)-III

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 23047250

ईमेल आईडी: meena.1964@gov.in